

30.10.25

पत्रावली पेश हुई, वकील प्राथमिक उपस्थित, विपक्षीय सं- 1, 2, 3, 5, 6, 8 के विमन साद तामिल होकर प्राप्त हुए जिते शा-पठ किये गये। वकील प्राथमिक विपक्षीय पक्ष के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। विपक्षीय सं- 1, 2, 3, 5, 6, 8 को क्रम-क्रम कर तीन बार आवापे जिलायी जाये के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफ कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जा रहा है। वास्ते पत्रावली बटल / आदेश देव नियत दिनांक 7-11-25 को पेश हो।

विपक्षीय सं- 5
क्रान्ति विरुद्ध
विपक्षीय सं- 7
पुस्तक विरुद्ध
विपक्षीय सं- 1

गौ. सा. 17/25
17/25
(अन्याय)

पत्रावली पेश हुई, वकील प्राथमिक उपस्थित। वकील प्राथमिक की बटल सुनी गयी, वकील प्राथमिक का शा-पठ व्यापकित में स्वीकार किया जाकर निर्णय प्रपक्षों लिखा जाकर शा-पठ किया गया। पत्रावली फलतः श्रुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड
मांडल जिला. गरी
गाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला

पीठासीन अधिकारी :- संजना जोशी आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 50/25 प्रा-पत्र

1- श्रीमती केली D/o श्री हेमा वील निवासी - हाथीपुरा तहसील माण्डल (कॉ) - प्रार्थी

बनाम

1- श्रीमती नोसी देवी D/o श्री लोभा राम गुजर निवासी - फतहपुरा तहसील माण्डल - विपक्षीगण (कॉ)

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 ::

दिनांक:- 7-11-25

-: आदेश :-

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आलरिया पटवार हल्का जिन्द्रास तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 52, 53, 54, 55, 56, 57 कुल किता 07 रकबा 1.7600 है 0 भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20-02-25 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

-: आदेश :-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम आलरिया पटवार हल्का जिन्द्रास तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 64 कुल किता 07 रकबा 1.7600 है 0 भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक श्यामपुरा को 700 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला
शीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला
शीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।